दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur



Sub:-Engagement of Act Apprentices in South East Central Railway, Bilaspur Division for the year 2023-24 under Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules1962.

<<<<>>>>>

1. Online application through the website: <u>https://www.apprenticeshipindia.gov.in</u> from 03.05.2023 to 03.06.2023 (till 23:59 hrs) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act 1961 in Bilaspur Division of South East Central Railway against the following designated trades:-

a) Vacancies/No. of Posts (trade wise):-

| Srl. No. | Trade | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | Ex.SM | PWD |
|-------------|---|-----|-----|-----|----|----|-------|-------|-----|
| 1 | CARPENTER | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 |
| 2 | COPA (65 Divn.+25 HQ/Const) | 40 | 10 | 27 | 15 | 8 | 100 | 10 | 4 |
| 3 | DRAFTSMAN (CIVIL) | • 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ELECTRICIAN | 42 | 11 | 28 | 16 | 8 | 105 | 11 | 4 |
| 5 | ELECTRONIC (MECH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | FITTER | 54 | 14 | 36 | 21 | 10 | 135 | 14 | 5 |
| 7 | MACHINIST | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | PAINTER | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 |
| 9 | PLUMBER | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 4 | 1 |
| 10 | MECHANIC (Refrigeration & Air Conditioning) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SHEET METAL WORK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | STENO (ENG) (15 Divn.+ 15 HQ/Const.) | 9 | 3 | 7 | 4. | 2 | 25 | 4 | 1 |
| 13 | STENO (HINDI) (15 Divn.+ 15 HQ/Const.) | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | . 2 | 1 |
| 14 | TURNER | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | WELDER | 16 | 4 | 11 | 6 | 3 | 40 | 4 | 2 |
| 16 | WIREMAN | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 |
| 17 | GAS CUTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 0 | 0 | 0 |
| 18 | DIGITAL PHOTOGRAPHER (02 Divn. + 02 HQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | Total | 215 | 59 | 148 | 85 | 41 | 548 | 58 | 21 |

2. Educational/technical qualification:-

a) Must have passed 10th class examination under 10+2 system or its equivalent.

b) Must have passed ITI course in relevant trades from a recognized institution.

3. Age limit:-

The candidate should have completed 15 yrs of age and should NOT have completed 24 yrs of age as on 01.07.2023. The upper age* limit is relaxable by 05 yrs for SC/ST candidates, 03 yrs for OBC and 10 yrs for Ex-serviceman and PWD. The date of birth community wise is furnished below:-

A.

| Srl.No | Community | Date between which the candidate should be born(both dates inclusive) |
|--------|-------------------|--|
| 1 | UR | 01/07/1999 to 01/07/2008 |
| 2 | SC | 01/07/1994 to 01/07/2008 |
| 3 | ST | 01/07/1994 to 01/07/2008 |
| 4 | OBC | 01/07/1996 to 01/07/2008 |
| 5 | PWD/Ex-servicemen | 01/07/1989 to 01/07/2008 |

* Age relaxation is subject to submission of latest caste certificate.

4. The period of apprenticeship and stipend:-

Selected candidates will be engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training for a period of <u>lyear</u> for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of State Government of Chhattisgarh. Their training will be terminated after the apprenticeship.

5. Criteria for preparing merit list in the selection:-

The following criteria in prescribed for preparation of merit in the selection- Taking the average of the % age marks obtained by the candidates in both Matriculation with minimum 50% (aggregate) marks and ITI examination giving equal weightage to both (Establishment rule 201/2017). Candidates must filled their 10th & ITI marks on the portal in qualification section, otherwise your application will be automatic rejected. No filled any other higher qualification.

6. Medical Examination:-

Selected candidates may be advice to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed proforma as per Apprenticeship Act 1961 and Para 4 of the Apprenticeship Rule 1992 (As amended from time to time). The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), Not below the rank Asstt. Surgeon of Central /State Hospital.

7. Contract:-

The selected candidates or, if he is minor, his guardian has be enter into a contract of apprenticeship with the employer.

8. Offer of acceptance for engagement:

It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to any apprentice after completion of training, nor shall it be obligatory for the apprentice to accept any employment, if offered by the employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulation under the Apprentices Act.1961.

9. Ex-Servicemen:-

Ex-servicemen candidates selected under the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/SC/ST/OBC to which they belong. Reservation to Ex-Servicemen, their children and children of armed forces personnel will be as per details mentioned below:-

(a) Children of deceased/Disabled Ex-servicemen including those killed/disabled during peace time.

- (b) Children of Ex-servicemen, (c) Children of Serving Officer, (d) Ex- Servicemen
- (e) Children of serving Jawan

10. Last Date for receipt of application:-

The online application completed in all respect, can be submitted through online from 03-05-2023 to 03-06-2023 (23.59 hrs). No physical copy of the application is required to be sent to this office.

11. General instruction to the candidates:-

(a) Applications must be submitted online only on the web address https://apprenticeshipindia.org

- (b) If a candidate belongs to SC/ST/OBC community, he should upload recent caste certificate issued by competent authority on the above web portal.
- (c) Canvassing in any form shall disqualify the candidate.

- (d) No Travelling Allowance/Daily Allowance shall be paid to the candidates.
- (e) The candidates will have to upload soft /scanned copy of present passport size color photograph and scanned signature along with necessary documents pertaining to educational/technical qualification on the website.
- (f) Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any discrepancy noticed.
- (g) If it is noticed by the railway administration that the applicant has furnished wrong/fake/false certificates, the railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected without notice even after his selection to undergo training.
- (h) The Railway administration does not undertake any responsibility for sending reply to the candidate either selected or otherwise. No correspondence in respect of the applications submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.
- (i) Persons With Disability (PWD) who want to avail the benefit for reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority with not less than 40% of disability i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State Government.
- (j) The decision of the Railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications and mode of selection shall be final.
- (k) If the option of EWS / Ex-Serviceman is not available on the portal, then apply on the portal from your actual category (Eg.- UR, OBC, SC, ST) and send/ submit the EWS/Ex-Serviceman certificate physically to this office.

12. Helping Contact:-

In case of any query, please contact this office Mo. No.(1) 8827395430 (2) 9752876613 during office hours at 10:00 am to 18:00 pm (Monday to Friday) in working day only.

(A.Ramesh Babu) Assistant Personnel Officer For Sr. Divisional Personnel Officer Date 03-05-2023

No.P/BSP/Rectt./Act.App/2023-2024/E-72152

Copy forwarded for information and necessary action to:

- 1. District Employment Officer-Bilaspur.
- 2. PCPO/SECR/BSP for kind Information.
- 3. PCPRO/SEC Railway/BSP for publication.
- 4. CAO (Con.)/SECR/BSP.
- 5. All Branch Officer for information of their/Supervising Units/Bilaspur Division.
- 6. Divl. Co-Ordinator/SECRMC/BSP Division.
- 7. Divl. Secy. /SC/ST & OBC Rly. Employee Associations.
- 8. APO-I,II & III of this office.
- 9. All Ch.S&WIs & S&WIs of this office.

10. Notice Boards.

For, Sr.Divl. Personne

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

South East Central Railway कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur



विषय :- वर्ष 2023-24 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसो का चयन ।

 दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेड़ों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए बिलासपुर मण्डल हेतु पात्र उम्मीदवारों से <u>https://apprenticeshipindia.org</u> वेबसाइट पर दिनाक 03-05-2023 से 03-06-2023 (रात 23:59 बजे) तक ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अ) रिक्तियों/पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार) :-

| क्र | ट्रेड | अना | ई.डब्ल्यू.एस | अ.पि.व. | अ.जा. | अ.ज.जा. | कुल | भू.पू.सै. | दिव्यांग |
|-----|---|-----|--------------|---------|-------|---------|-----|-----------|----------|
| 1 | कारपेन्टर | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 |
| 2 | वोपा.(65 Divn.+25HQ /Const) | 40 | 10 | 27 | 15 | 8 | 100 | 10 | 4 |
| 3 | ड्राफ्ट मैन (सिविल) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | इलेक्ट्रीशियन | 42 | 11 | 28 | 16 | 8 | 105 | 11 | 4 |
| 5 | इलेक्ट्रांनिक / मैकेनिक | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | फिटर | 54 | 14 | 36 | 21 | 10 | 135 | 14 | 5 |
| 7 | मशीनिष्ट | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | पेन्टर | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 |
| 9 | प्लम्बर | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 4 | 1 |
| 10 | आर.ए.सी.मैकेनिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | शीट मेटल वर्कर | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) (15 Divn.+ 15 HQ /Const.) | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 4 | 1 |
| 13 | स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (15 Divn.+ 15 HQ/ Const.) | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 14 | टर्नर | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | वेल्डर | 16 | 4 | 11 | 6 | 3 | 40 | 4 | 2 |
| 16 | वायरमैन | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | . 2 | 1 |
| 17 | गैस कट्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | डिजिटल फॉटोग्राफर (02 Divn. + 02 HQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | · कुल | 215 | 59 | 148 | 85 | 41 | 548 | 58 | 21 |

2. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वी (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबन्धित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनाक 01.07.2023 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए। *अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी।

समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिये:-

| कम | समुदाय | अभ्यर्थी |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1. | अनारक्षित | 01/07/1999 to 01/07/2008 |
| 2. | अनुसूचित जाति | 01/07/1994 to 01/07/2008 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति | 01/07/1994 to 01/07/2008 |
| 4. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 01/07/1996 to 01/07/2008 |
| 5. | दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक | 01/07/1989 to 01/07/2008 |

* उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।

4. अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति:-

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप मे लगाए जाएंगे तथा उन्हें केवल् 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा।

5. चयन प्रक्रिया : -

प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी॰आई. मे प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017). <u>अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वी और आईटीआई (ITI) के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन मे</u> निश्चित रूप से भरे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएग तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. चिकित्सा परीक्षण :-

चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय / राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए।

त. संविदा : -

चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता क अनुबंध में पालक / अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

8. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :-

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा । अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें ।

9.भूतपूर्व सैनिक :-

10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी मे रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।

क) मृत सैनिक के बच्चे / युद्ध के समय मारे गए / दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे ,

ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्व सैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे।

10. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि :-

पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 03–05–2023 से 03–06–2023 को 23:59 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक (Physical) प्रति इस कार्यालय को न भेजें।

- 11. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-
 - (क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें, वैबसाइट का पता https://apprenticeshipindia.org
 - (ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।
 - (ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाब डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
 - (घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप मे ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए /डीए नहीं दिया जाएगा।
 - (ड़) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
 - (च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत /जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण मे, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।
 - (छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलाबा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय मे जमा किए गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

- (ज) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
- (झ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति , अस्वीकृति , पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।
- (ञ) यदि पोर्टल पर ईडब्ल्यूएस / भूतपूर्व सैनिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अपने वास्तविक वर्ग(जैसे- UR, OBC, SC, ST) से पोर्टल पर आवेदन करें एवं ईडब्ल्यूएस / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र को भौतिक (physical) रूप से इस कार्यालय मे भेजे/जमा कुरें।
- 13. सहायता हेतु: -अंधिक जानकारी के लिए सोनवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रात: 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक इस मोबाइल नंबर- (1) 8827395430 (2) 9752876613 में सम्पर्कु किया जा सकता है

नोट: - किसी संशय/विरोधाभाष कि स्थिति मे अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा ।

(ए.रमेश बाबू) सहायके कार्मिक अधिकारी

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

दिनांक :-03-05-2023

सं-पी/बिलासपुर/भर्ती/एक्ट अप्रेंटिस/2023-24/E-72152

प्रतिलिपि : -

1.जिला रोजगार अधिकारी/बिलासपुर(छ॰ग॰),2.प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/द.पू.म.रे./बिलासपुर को सूचनार्थ, 3.मुख्य जन संपर्क अधिकारी/द.पू.म.रे./बिलासपुर से अनुरोध है कि स्थानीय अखबारों में प्रकाशन सुनिश्चित करें 4॰ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)/द.पू.म.रे./बिलासपुर 5. समस्त शाखा अधिकारी, सुपरवाइजरी इकाई, बिलासपुर मंडल, 6.मंडल समन्वयक द.पू.म.रे./मजदूर कांग्रेस, बिलासपुर मंडल, 7.मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अभा.अजा./अजजा.रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर मंडल, 8.सहायक कार्मिक अधिकारी-I,II एवं III, 9.समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक /बिलासपुर मंडल एवं 10.सूचना पटल।

कृते वरिष्ठ मंडॅल कार्मिक अधिका